निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 34/2025
दायरा दिनांकः–14.05.2025
निर्णय दिनांकः– 23.7.25

उनवान

1. विरेन्द्र सिंह आयु 42 वर्ष पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखेडानाथूराम हाल मुकाम गोविन्द नगर कोटा जिला कोटा (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 23.7.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम खेरखेड़ा नाथूराम तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नं 66 रकबा 0.0632 है०, खसरा नं0 75 की रकबा 0.3541 है०, खसरा नं0 77 की रकबा 1.1128 है०, खसरा नं० 80 की रकबा 0.2655 है०, खसरा नं0 81 की रकबा 0.4173 है कुल किता 05 कुल रकबा 2.2129 हैक्टेयर भूमि अवस्थित चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर गत कई वर्षों से काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता किशोरसिंह को फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियों के सहवन से प्रार्थी का नाम इंतकाल में विरेन्द्रसिंह के स्थान पर घर में बोलता नाम विजेन्द्र दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का नाम विरेन्द्रसिंह है जिसे दुरस्तीकरण किया जाकर विजेन्द्र के स्थान पर विरेन्द्रसिंह किया जाना अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, ई–श्रमिक कार्ड, सभी में प्रार्थी का नाम विरेन्द्रसिंह ही दर्ज है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम विजेन्द्र दर्ज होने से उसे क्रेन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 में वर्णित भूमि के खाते पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर ट्यूबवेल लगाकर तार फैन्सिंग कर भूमि समतल करवाकर प्रगतिशील काश्त करना चाहता है परन्तु प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दूरस्तीकरण किये बिना संभव नहीं है। प्रार्थी दिनांक 28.04.2025 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवानें के लिए हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गया तो उसे हल्का पटवारी ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की त्रुटि की जानकारी हुई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथूराम तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 40 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति पहचान पत्र जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, ई–श्रम कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडानाथूराम तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/6 दर्ज है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता किशोर सिंह का फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से प्रार्थी का नाम विरेन्द्र सिंह के स्थान पर बोलता नाम विजेन्द्र दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम विरेन्द्र सिंह है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम विरेन्द्र सिंह ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का गलत नाम विरेन्द्र दर्ज होने से प्रार्थी राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ से वंछित होना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विजेन्द्र के स्थान पर विरेन्द्रसिंह दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि उक्त प्रकरण में मौके एवं राजस्व रिकार्ड से जांच करने हेतु ग्राम खेरखेडानाथूराम पहुंचा। मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम खेरखेडानाथूराम की जमाबन्दी सम्वत् 2079 (वर्ष 2023) की खाता संख्या 40 कुल किता 5रकबा 2.2129 है0 में विजेन्द्र पुत्र किशोरसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत सा0देह शेष खाता बदस्तुर दर्ज है उक्त खाते में दर्ज नाम विजेन्द्र पुत्र किशोरसिंह का सही नाम विरेन्द्र सिंह पुत्र किशोरसिंह राजपूत है ग्राम वासियान ने बताया कि विरेन्द्र सिंह व विजेन्द्र सिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है उक्त दोनो नामों से जाना जाता है उक्त सन्दर्भ में प्रार्थी के आधार कार्ड संख्या 945117841828 व मतदाता पत्र संख्या DNJ/1561257 राशन कार्ड आदि से भी नाम जांच की गई उक्त दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम विरेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह दर्ज है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथूराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 40 में विजेन्द्र पुत्र किशोरसिंह हिस्सा 1/6 शामलाती खातेदारी में दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड मतदाता फोटो पहचान पत्र जन आधार कार्ड पेन कार्ड ई–श्रम कार्ड एवं परिवार राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम विरेन्द्र सिंह दर्ज है इससे यह

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...बित होता है कि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में विरेन्द्र सिंह दर्ज है। जो सही है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विजेन्द्र है जो गलत है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में विजेन्द्र के स्थान पर विरेन्द्रसिंह दर्ज करवाना चाहता है। तहसीलदार छबडा ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि विजेन्द्र एवं विरेन्द्रसिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है उक्त दोनो नामो से जाना जाता है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडानाथूराम तहसील छबडा के खसरा नम्बर 66 रकबा 0.0632 है0 खसरा नम्बर 75 रकबा 0.3541 है0 खसरा नम्बर 77 रकबा 1.1128 है0 खसरा नम्बर 80 रकबा 0.2655 है0 खसरा नम्बर 81 रकबा 0.4173 है0 कुल किता 5 रकबा 2.2129 है0 में प्रार्थी का नाम विजेन्द्र के स्थान पर विरेन्द्रसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा